

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 178/2025

रतिराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

--वादी

बनाम

1. सरोज देवी पत्नी कृष्णलाल राव जाति जाट नि. रतनपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा संगरिया।
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री प्रमोद डेलू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुनील नैण वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का खाता निम्नानुसार अलग कायम

करे न्याजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

वादी रतिराम पुत्र जगदीश जाति जाट सा.रतनपुरा के कब्जा काशत की भूमि :-

चक 12 एसबीएन 145/19 ज.स. 2073-2076		
प.न.	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
177/201	55	1/1/0.228, 1/2/0.025 है. रास्ता, बा. 10,11/0.253 है. प्रत्येक बारानी कुल 0.759 है. मय गै.मु. बारानी

2. प्रतिवादी 1 सरोज पत्नी कृष्ण लाल राव जाति जाट सा.रतनपुरा के कब्जा काशत की भूमि :-

चक 12 एसबीएन 145/19 ज.स. 2073-2076		
प.न.	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
176/200	43	24/0.253 है. बारानी
176/201	56	4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु. 5/1/0.202, 5/2/0.051 गै.मु. 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. 7/0.253, 14/0.253, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु. 16/1/0.228, 16/2/0.025 गै.मु. 17/0.253, 23/0.215, 24/0.019, 25/1/0.164, 25/2/0.160
177/201	55	20/0.253 है. 21/0.190 है. बारानी कुल 3.305 है. कृषि भूमि

नोट :- प्रश्नगत आराजी पर बैंक ऋण यथावत रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के

मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5.8.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
राजस्थान